

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर**

क्रमांक :- प.4(ई) (1) (6) नियमितिकरण/अलेसे-III/6415

दिनांक :- 23.12.2020

**आदेश संख्या : 258/2020-21**

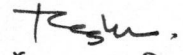
राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नलिखित कनिष्ठ लेखाकार जिन्हें कनिष्ठ लेखाकार/त.रा.ले. संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 में सफल घोषित होने पर 02 वर्ष की अवधि हेतु कनिष्ठ लेखाकार पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति दी गई थी, का राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 34 के अन्तर्गत 02 वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूर्ण करने एवं कनिष्ठ लेखाकार पद का निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से स्थाईकरण/वेतन नियमितिकरण किया जाता है।

परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इन्हें पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अन्तर्गत पे-मेट्रिक्स के लेवल L-10 में वेतन तथा नियमानुसार भत्ते देय होंगे।

| क्र. सं. | नाम कनिष्ठ लेखाकार (सर्वश्री) | लिंक नं. | मेरिट नं. |        | जन्मतिथि  | कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि | परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि | नियमितिकरण तिथि | स्थाईकरण तिथि |
|----------|-------------------------------|----------|-----------|--------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|
|          |                               |          | नई        | पुरानी |           |                                               |                                 |                 |               |
| 1        | 2                             | 3        | 4         | 5      | 6         | 7                                             | 8                               | 9               | 10            |
| 1        | अजय सिंह शर्मा                | 13091    | 932       | 928    | 3-Apr-83  | 13.04.18                                      | 12.04.20                        | 13.04.20        | 13.04.20      |
| 2        | अविनाश शर्मा                  | 13180    | 995       | —      | 14-Feb-89 | 29.08.18<br>After Noon                        | 29.08.20                        | 30.08.20        | 30.08.20      |
| 3        | अभिषेक मोहिल                  | 13183    | 1240      | —      | 2-Jul-91  | 12.07.18                                      | 11.07.20                        | 12.07.20        | 12.07.20      |
| 4        | भीम राज                       | 23289    | 1262      | —      | 12-Jun-87 | 01.10.18                                      | 30.09.20                        | 01.10.20        | 01.10.20      |
| 5        | भुवनेश उपाध्याय               | 13031    | 2831      | 2725   | 5-Jun-87  | 21.03.18<br>After Noon                        | 21.03.20                        | 22.03.20        | 22.03.20      |

कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सरकार के अधीन अन्य पद पर नियमित रूप से सेवारत रहे कार्मिकों (जिनके द्वारा परिवीक्षा अवधि में पूर्व पद का वेतन प्राप्त किया जा रहा है) का परिवीक्षाकाल समाप्ति पर वेतन निर्धारण वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F. 15 (1) FD/RULES/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के निर्देशानुसार राजस्थान सेवा नियम के नियम 26 के अन्तर्गत किया जावेगा।

उक्त आदेश कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2013 के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न न्यायिक प्रकरणों/वादों के अन्तिम निर्णय के अधधीन रहेगे।

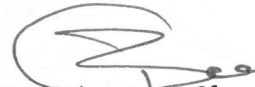
  
(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)  
निदेशक

क्रमांक :- प.4(ई) (1) (6) नियमितिकरण/अलेसे-III/6415

दिनांक :- 23.12.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक (एससीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।

  
अति० निदेशक (कार्मिक-III)